न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 21/2019 **दायर दिनांकः 05/02/2019**

उनवान

1. गजेन्द्र नागर आयु 36 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा
2. बृजेश कुमार आयु 28 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारा (राज0) **वादीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट.
व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 23/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 91, 92ए आर0टी0एक्ट व धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू मे खाता संख्या 66 की ख0नं0 391 रकबा 8.87 है0 किता 1 रकबा 8.87 है0 आराजी वादीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी 2074 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे वादी क्रम 1 का नाम बबलू पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड व वादी क्रम 2 का नाम महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा दर्ज है, जिसमे वादीगण का नाम सही नही है वादीगण का नाम गलत दर्ज हैं। जबकि वादी क्रम 1 का सही नाम गजेन्द्र नागर तथा वादी क्रम 2 का नाम बृजेश कुमार है। वादीगण के पिता द्वारा वक्त रजस्ट्री गांव का बोलता नाम लिखवा दिया था इसलिए राजस्व रिकार्ड मे भी वही नाम दर्ज हो गया तथा विद्यालय रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे वादीगण का नाम गजेन्द्र नागर व बृजेश कुमार लिखवा दिया हैं। इसलिए वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न भिन्न हैं। वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं विद्यालयो के रिकार्ड मे भी एवं अन्य दस्तावेजो मे भी वादी क्रम 1 का नाम गजेन्द्र नागर तथा वादी क्रम 2 का नाम बृजेश कुमार है।

नकल जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजो में वादीगण का नाम भिन्न होने से वादीगण को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास करवाने मे कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता हैं। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे अपना नाम बबलू के स्थान पर गजेन्द्र नागर तथा महावीर प्रसाद के स्थान पर बृजेश कुमार दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता हैं। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर वाद प्रस्तुत किया गया हैं। वाद कारण कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दुरूस्त नही करने पर व अन्तिम बार मना कर सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की कहने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। विवाद ग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे कि :–

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे वादी क्रम 1 का नाम बबलू के स्थान पर गजेन्द्र नागर तथा वादी क्रम 2 का नाम महावीर प्रसाद के स्थान पर बृजेश कुमार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान करे।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलायी जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया जाता है।

साक्ष्य वादी के तहत् PW_1 व PW_2 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम माल नृसिंहपुरा पटवार मण्डल सहरोद की खाता संख्या 66 ख0नं0 391 रकबा 8.87 है0 किता 1 रकबा 8.87 है0 भूमि वादीगण के शामलाती खाते दर्ज है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी क्रम 1 का नाम बबलू पुत्र कस्तूर चन्द व वादी क्रम 2 का नाम महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। जो नाम वादीगण का नाम सही नही है। जबकि वादी क्रम 1 का सही नाम गजेन्द्र नागर तथा वादी क्रम 2 का नाम बृजेश कुमार है।

वादीगण के पिता द्वारा रजिस्ट्री में बोलता नाम लिखवा दिया था इसलिए राजस्व रिकार्ड में बोलता नाम दर्ज कर दिया गया वादीगण का सही नाम गजेन्द्र नागर व बृजेश कुमार है, प्रस्तुत रिकार्ड राशन कार्ड, गजेन्द्र नागर, आयकर विभाग, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र भामाशाह, तथा पंचायत सहरोद का प्रमाण पत्र अनुसार वादी क्रम 1 का नाम गजेन्द्र कुमार दर्ज है। तथा प्रतिवादी क्रम 2 आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, भामाशाह परिचय पत्र, आयकर विभाग, शिक्षा बोर्ड अंक तालिका 2016 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, परीक्षा 2003 में बृजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप दर्ज है।

रिकार्ड साक्ष्य के आधार पर वादीगण का नाम सही दर्ज किया जाना उचित है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा पटवार मण्डल सहरोद की खाता संख्या 66 ख0नं0 391 रकबा 8.87 है0 में शामलाती खाते में दर्ज बबलू पुत्र कस्तूर चन्द के स्थान पर गजेन्द्र कुमार तथा महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर बृजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार संशोधन कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्त करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 21/2019

उनवान

1. गजेन्द्र नागर आयु 36 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा
2. बृजेश कुमार आयु 28 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट.
व धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा पटवार मण्डल सहरोद की खाता संख्या 66 ख0नं0 391 रकबा 8.87 है0 में शामलाती खाते में दर्ज बबलू पुत्र कस्तूर चन्द के स्थान पर गजेन्द्र कुमार तथा महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर बृजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार संशोधन कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्त करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X................................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी

E:\Rinku sharma\Faishla\2020.docx

अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 11:26:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: